भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2606
मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड

+2606. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री पी. सी. मोहनः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) एनसीईएल में सदस्यता के लिए पात्र सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार एनसीईएल में शामिल होने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और अन्य सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) एनसीईएल द्वारा अब तक निर्यात की गई वस्तुओं की कुल मात्रा और मूल्य सहित वस्तु-वार विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास निर्यात नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों या समझौता ज्ञापनों की कोई योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है । यह समिति देश की भौगोलिक सीमा से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके फलस्वरूप विश्व भर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग बढ़ेगी और ऐसे उत्पादों/सेवाओं के लिए सर्वोत्तम संभावी कीमतें प्राप्त होंगी । यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास, आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगी । यह समिति वित्त की उपलब्धता, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रशिक्षण और

क्षमता निर्माण में मदद करने, बाजार आसूचना प्रणाली विकसित और अनुरक्षण करने, संबंधित सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने और ऐसे अन्य कार्यकलाप करने में भी मदद करेगी जिसके फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि होगी ।

(ख): किसी भी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के अधीन पंजीकृत या डीम्ड पंजीकृत कोई बहुराज्य सहकारी समिति या कोई सहकारी समिति, इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं ।

(ग): NCEL द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अब तक 11,034 सहकारी समितियों को निम्नानुसर सदस्यता प्रदान की गई हैं:-

क्रम सं.	सहकारी समितियों के प्रकार	संख्या
i.	PACS और अन्य प्राथमिक सहकारी समितियां (श्रेणी-5)	10793
ii.	तहसील/जिला स्तरीय सहकारी समितियां (श्रेणी-4)	216
iii.	बहुराज्य सहकारी समितियां (श्रेणी-3)	10
iv.	राज्य स्तरीय सहकारी समितियां (श्रेणी-2)	10
v.	प्रवर्तक सहकारी समितियां/संगठन (श्रेणी-1)	5

(घ): NCEL द्वारा अब तक निर्यात की गई कृषि सामग्रियों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है: -

कुल मात्रा: 13,49,831.05 मीट्रिक टन

कुल मूल्य: ₹ 54,03,01,47,854.00 (₹ 5403.01 करोड़)

सामग्री-वार ब्योरा संलग्नक-क पर दिया गया है ।

(ङ) से (च): सहकारिता मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से बाजार की उपलब्धता के संबंध में सूचना प्रदान करने तथा उनके संबंधित देश के आयातकों को NCEL से परिचय कराने का अनुरोध करके भारतीय मिशन के माध्यम से सहकारी निर्यात इकोसिस्टम को सशक्त करने का कार्य कर रहा है ।

सहकारिता मंत्रालय तथा जांबिया गणराज्य के लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय (MoSMED) ने सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों राष्ट्रों की सहकारी समितियों के बीच व्यापार गठबंधन के लिए अपेक्षित सुविधाएं और माध्यम प्रदान करना है ।

इसके अलावा, NCEL ने:-

i. उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सेनेगल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

ii. इंडोनेशिया गणराज्य के सिंटन वांटेज ट्रेडिंग प्राइवेट लि. और पीटी सिंटन सुरीनी नुसांतारा के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

*****

संलग्नक-क

वर्ष 2023-24 के लिए: निर्यात सारांश

क्रम सं.	कृषि सामग्री	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपये)
1.	गैर-बासमती सफेद चावल (निर्यात ड्यूटी)	230310.01	9,931,363,187
2.	साबुत टूटा चावल (छूटप्राप्त)	32194.00	1,070,769,516
3.	ताजा लाल प्याज	2530.00	94,094,000
4.	गेहूं	1025.29	35,116,011
कुल		**266059.30**	**11,131,342,714**

वर्ष 2024-25 के लिए: निर्यात सारांश

क्रम सं.	कृषि सामग्री	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपये)
1.	शिशु खाद्य दूध	150.01	94,134,758
2.	जौ	30.00	9,391,108
3.	काला मसूर	75.01	15,431,143
4.	काली मिर्च	15.00	20,116,381
5.	ब्राउन चीनी	180.00	25,344,221
6.	मटर	120.00	46,626,692
7.	कॉर्न फ्लेक्स	60.00	35,573,522
8.	जीरा बीज	15.00	15,376,000
9.	जीरा बीज (छूटप्राप्त)	24.53	9,072,604
10.	ताजा लाल प्याज	5039.87	245,463,248
11.	अदरक पाउडर	15.00	14,949,278
12.	स्वास्थ्यवर्धक बिस्कुट	29.99	9,421,760
13.	इंस्टेंट कॉफी	30.01	28,713,860
14.	इंस्टेंट नूडल्स	30.01	11,949,759
15.	इंस्टेंट सूप	15.00	8,530,609
16.	राजमा	150.00	34,337,140
17.	खुली चाय	16.00	7,452,418
18.	मिलेट आटा	150.00	39,655,386
19.	मिक्स फ्रूट जैम	37.51	16,130,215
20.	गैर-बासमती सफेद चावल (निर्यात ड्यूटी)	280003.31	12,527,069,648
21.	ओट्स	150.00	39,374,725
22.	आलू स्टार्च	120.00	47,907,618
23.	किशमिश	60.00	34,740,771
24.	लाल मसूर	75.00	17,543,130
25.	नियमित नमक	180.00	13,806,369

26.	ज्वार	1030.00	53,219,557
27.	चीनी	15246.50	686,168,800
28.	सुरजमुखी का तेल	480.00	86,163,010
29.	टी बैग	5.00	6,861,244
30.	हल्दी पाउडर	15.00	7,351,652
31.	गेहूं	0.001	178,047
32.	साबुत टूटा चावल (छूटप्राप्त)	775596.00	28,450,081,863
33.	पीला/काला/लाल मसूर	55.00	11,506,543
34.	पीला मसूर	125.00	25,798,919
35.	पीला मक्का	3500.00	111,581,750
36.	पीला मटर	150.00	28,620,576
कुल		**1082973.75**	**42,835,644,321**

वर्ष 2025 से आज तक

क्रम सं.	**कृषि सामग्री**	**मात्रा (मीट्रिक टन)**	**मूल्य (रुपये)**
1.	साबुत जीरा बीज	84.00	17,624,007.00
2.	भारतीय उसना चावल	520.00	18,278,260.00
3.	हल्दी की गांठ	168.00	25,948,440.00
4.	भारतीय लंबा दाना चावल	26.005	1,310,111.10
कुल		**798.005**	**63,160,818.10**